

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—::कार्यालय—आदेश::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर द्वारा चयनित प्रधानाध्यापक—रामावि एवं समकक्ष को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/पीएससी/2013, दिनांक:-13.09.2013, द्वारा वेतन श्रृंखला पी.बी.-3 (15600-39100) ग्रेड वेतन- 5400 पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-1(2)/डीओपी /ए-2 /2005 दिनांक 20.01.2006, पं.(8) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं एफ.12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार निम्नांकित आशार्थी को प्रधानाध्यापक—रामावि समकक्ष के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति किया गया था।

कार्मिक द्वारा प्रधानाध्यापक—रामावि समकक्ष की परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफ. 1(2)एफडी(रूल्स) 06पार्ट-1 जयपुर दिनांक:- 22.05.09, 11.06.14 व 17.08.14 में उल्लेखानुसार उनके नाम के सामने (स्थाईकरण तिथि कॉलम) अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-3 (15600-39100) एवं ग्रेड पे-5400/-रु. एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त तिथि से राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम-31 के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक—रामावि समकक्ष के पद पर स्थाई किया जाता है।

क्र.सं.	RPSC वरियता क्र.	नाम कार्मिक मय पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण तिथि
1.	1185	KOSHALYA GEHLOT, HEADMASTER & EQUIVALENT	GOVT. SECONDARY SCHOOL LADPURA (21197), CHITTAURGARH	08-10-1985	19-10-2019 (मध्यान्ह पश्चात)	20-10-2021
2.	824	ANJANA CHOUDHARY, HEADMASTER & EQUIVALENT	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHARU (211573) JHUNJHUNUN	14-07-1989	26-10-2019 (मध्यान्ह पश्चात)	27-10-2021

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/45001/RPSC-HM/स्थायीकरण/2018/284
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

दिनांक:- 20.09.2022

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
- 02- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक।
- 03- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 05- संबंधित कार्मिक को सूचनार्थ।
- 06- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर